जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 05.08.2022**

आज दिनांक 05.08.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भारद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

वध के लिए ले जाए जा रहे 01 राशि गोवंशीय पशु, 02 अदद नाजायज चाकू, 01 अदद बोगदा के साथ 03 गौतस्कर गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री संतोष कुमार सिंह** के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **श्री अंशुमान मिश्र** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक दुधारा **श्री सर्वेश राय** के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा गस्त के दौरान आज दिनांक 05.08.2022 को अगया बगीचा से 01 राशि गोवंशीय पशु बछड़ा को बरामद किया गया तथा घटनास्थल से 03 अभियुक्त नाम पता 1 – अबुशाद अहमद पुत्र स्व0 मोहम्मद सेराज निवासी जुझारपुर 2 – मो0 जैद पुत्र मो0 जकी निवासी हटवा 3 – मो0 उमर पुत्र स्व0 मकबूल अहमद निवासी ककरहिया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को 02 अदद अवैध चाकू व 01 अदद बोगदा के साथ गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 280 / 22 धारा 3/5(ए)/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम बनाम उपरोक्त तथा बरामद अवैध चाकू के संबंध मे मु0अ0सं0 281 / 22 धारा 4/ 25 शस्त्र अधिनियम बनाम अबुशाद अहमद पुत्र स्व0 मोहम्मद सेराज व 282 / 22 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम बनाम मो0 जैद पुत्र मो0 जकी तथा 283 / 2022 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम बनाम मो0 उमर पुत्र स्व0 मकबूल अहमद पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

बरामगदी -

1 – 01 अदद गोवंशीय पशु।

2 – 02 अदद चाकू।

3 – 01 अदद बोगदा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 श्री शम्भूनाथ राय का0 धीरेन्द्र प्रताप सिंह, का0 भान प्रताप यादव, का0 अनूप यादव, का0 देवी प्रसाद यादव, रि0का0 अमित कुमार।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

<u>पीआरवी 2548 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल</u> – पीआरवी 2548 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत भुवरिया गांव से इवेन्ट संख्या 08978 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में 01 व्यक्ति (संजार आलम पुत्र कमरूद्दीन जनपद अररिया बिहार राज्य) के घायल होने के संबंध मे सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के संबन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 विशेश्वर प्रसाद, आरक्षी विमल कुमार, हो0चा0 रामकृष्ण मौर्य।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 91 वाहनो से 64,500 रु0 सम्मन वसूल किया गया

आज दिनांक 05.08.2022 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 91 वाहनों से 64,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल वाहन किया गया।